दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

{कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख}

बुधवार, 28 नवम्बर, 2000/मार्गशीर्ष 07, 1922 {शक}

संख्या-43

1. 2.00 बजे विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने विधान सभा परिसर में एक सदस्य के साथ हुई हाथापाई किये जाने का मामला उठाया । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि मामले की जांच की जायेगी और पुलिस/सिक्यूरिटी से इस बारे में रिपोर्ट मंगाई जायेगी ।

2. 2.16 बजे श्री रूप चन्द सदन में आये । अध्यक्ष महोदय ने श्री रूप चन्द दारा लिखित में दिये गये वक्तव्य को पढ़कर सुनाया और आश्वासन दिया कि वे इस मामले को देखेंगे ।

3. 2.22 बजे **प्रश्न**

तारांकित प्र.सं.103,104,106 एवं 107 तथा उनसे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये । तारांकित प्र.सं.101,102,105,108 से 120 तथा अतारांकित प्र.सं. 263 से 325 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

4. 3.00 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये कागजात**

डॉ. नरेन्द्र नाथ, शिक्षा मंत्री ने गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविधालय से संबंधित दिनांक 16.2.2000 और 20.4.2000 को जारी 04 अधिसूचनाओं की प्रति सदन पटल पर रखी ।

5. 3.01 बजे **प्रस्ताव**

श्री मंगत राम सिंघल ने प्रस्ताव किया कि -"यह सदन दिनांक 27.11.2000 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है ।" प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

6. 3.02 बजे **प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण**

{1} श्रीमती किरण वालिया ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया ।

{2} श्री मोती लाल बोकोलिया ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का पाँचवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया ।

{3} श्रीमती किरण वालिया ने दिल्ली प्लास्टिक बैग {विनिर्माण, बिक्री एवं प्रयोग} तथा गैर जैव अवक्रमित कूड़ा करकट {नियंत्रण} विधेयक, 2000 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया ।

7· 3·03 बजे अध्यक्ष महोदय ने श्री नन्द किशोर गर्ग को चौ·ब्रह्म प्रकाश सहकारिता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने पर सदन की ओर से बधाई दी ।

8· 3·04 बजे **विशेष उल्लेख**

निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 287 के अंतर्गत मामले उठाये-

1· श्री सुशील चौधरी
2· श्री सुरेन्द्र कुमार
3· श्री अमरीश सिंह गौतम
4· श्री मोती लाल बोकोलिया
(मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
5· श्री रूप चन्द
6· श्री साहब सिंह चौहान
7· श्री अरविन्दर सिंह लवली
8· श्री माला राम गंगवाल
9· श्री भीष्म शर्मा
(परिवहन मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
10· श्री रमेश कुमार

9· 3·30 बजे **नियम-107 के अंतर्गत प्रस्ताव**

श्रीमती किरण वालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया- "यह सदन सिफारिश करता है कि झुग्गी-झोपड़ियों को नये स्थान पर बसाते समय वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त जीवन के लिये आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिये और उनको वर्ष के ऐसे समय में पुनर्वासित किया जाये जब सर्दी/गर्मी न हो और वहां के स्कूल जाने वाले बच्चों के अध्ययन/परीक्षा में कोई व्यवधान न हो ।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1· श्री मुकेश शर्मा
2· श्री नन्द किशोर गर्ग
3· श्री जिले सिंह चौहान
4· श्रीमती अंजलि राय
5· श्री साहब सिंह चौहान

10· 4·00 बजे **जलपान-अवकाश**

11· 4·37 बजे सदन पुनः समवेत हुआ । नियम-107 के अंतर्गत प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

6· श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
7· श्री दीप चन्द बंधु

8· श्री महाबल मिश्रा
9· कंवर करण सिंह
10· श्री नसीब सिंह
11· श्री अमरीश सिंह गौतम
12· श्री भीष्म शर्मा

विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

श्री मुकेश शर्मा ने प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया-

"कि क्षेत्रीय विधायक को सूचित करते हुए हटायी जाने वाली झुग्गी बस्तियों को एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिये और नई झुग्गी बस्तियां बसाने को दण्डनीय अपराध माना जाये और सरकार को इस संबंध में सख्त कार्रवाई करनी चाहिये ।"

विकास मंत्री ने संशोधन में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया और निम्न प्रकार से संशोधित प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया :-

"यह सदन सिफारिश करता है कि झुग्गी-झोपड़ियों को नये स्थान पर बसाते समय वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त जीवन के लिये आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिये और उनको वर्ष के ऐसे समय में पुनर्वासित किया जाये जब सर्दी/गर्मी न हो और वहां के स्कूल जाने वाले बच्चों के अध्ययन/परीक्षा में कोई व्यवधान न हो ।

यह सदन यह भी सिफारिश करता है कि उन सभी झुग्गी बस्तियों को, जिन्हें क्षेत्रीय विधायक की पूर्व अनुमति से हटाये जाने का विचार हो, एक महीने की सूचना देना आवश्यक है और भू-सवामित्व एजेंसियों से अनुरोध किया जाये कि अतिक्रमण को दण्डनीय अपराध मानें ।"

12· 5·15 बजे **टिप्पणी**

अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि नियम 128 के प्रावधान मंत्रियों को यह छूट नहीं देते कि वे विधेयकों को इतनी शीघ्रता से पुरःस्थापित व पारित करवायें जिससे कि सदस्यों को विधेयकों पर संशोधन देने के लिये और सचिवालय को दिये गये संशोधनों की प्रक्रिया तैयार करने के लिये सीमित समय मिले । उन्होंने मंत्रियों को सलाह दी कि वे भविष्य में इसका अनुसरण करें ।

विधायी प्रस्ताव

13· 5·17 बजे **विधेयक का पुरःस्थापन**

डॉ·नरेन्द्र नाथ, उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली उद्योग (सूचीबद्ध एवं नियोजन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये और अनुमति मिलने के बाद विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया ।

14· 5·18 बजे **विधेयक पर विचार एवं पारण**

डॉ·नरेन्द्र नाथ, उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली सार्वजनिक अवजल शोधक संयंत्र विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये । अनुमति मिलने के बाद उन्होंने विधेयक के प्रावधानों पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1· श्री मुकेश शर्मा
2· श्रीमती किरण चौधरी
3· श्री नन्द किशोर गर्ग
4· डॉ·जगदीश मुखी

विधेयक पर खण्डवार विचार

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-2(2) में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया-

उपयुक्त प्राधिकरण का अर्थ है उद्योग आयुक्त या उनके द्वारा कोईसमय-समय पर अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक के रैंक से नीचे का न हो ।

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-2 में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-2 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-3 में अपना निम्न संशोधन पेश किया-

(कृपया मूल संशोधन अंग्रेजी में देखें)

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-3 एवं खण्ड-4 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-5 में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया-

(मूल संशोधन अंग्रेजी में देखें)

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और धविनमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-5 में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

डॉ॰जगदीश मुखी ने खण्ड-5 में दिया गया अपना संशोधन वापस लेने के लिये मना करने पर उसे मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकार किया गया ।

खण्ड-5 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-6(1) में दिया गया अपना संशोधन प्रस्तुत किया :-

(कृपया मूल संशोधन अंग्रेजी में देखें)

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-6(2)(सी) के परन्तुक में निम्न संशोधन पेश किया-

(कृपया संशोधन अंग्रेजी में देखें)

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-6 एवं खण्ड-7 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-8(1) में दिया गया अपना संशोधन प्रस्तुत किया-

(कृपया मूल संशोधन अंग्रेजी में देखें)

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-8 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-9 में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-9 को मतदान के लिये लिया गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-10 में अपना निम्न संशोधन प्रस्तुत किया-

(कृपया संशोधन अंग्रेजी में देखें)

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-10 एवं खण्ड-11 को मतदान के लिये रखा गया और धविनमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-12 में अपना संशोधन प्रस्तुत किया-

§मूल संशोधन अंग्रेजी में§

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और धविनमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-12 को मतदान के लिये रखा गया और धविनमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-13 में अपना निम्न संशोधन प्रस्तुत किया-

§मूल संशोधन अंग्रेजी में§

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-13§4§ में अपना संशोधन प्रस्तुत किया-

§मूल संशोधन अंग्रेजी में§

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-13 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-14 में अपना संशोधन प्रस्तुत किया-

§मूल संशोधन अंग्रेजी में§

टाइपोग्राफिकल गलती होने के कारण अध्यक्ष महोदय संशोधन से सहमत हुए ।

खण्ड-14 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-15 में अपना संशोधन प्रस्तुत किया-

§मूल संशोधन अंग्रेजी में§

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-15 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने सदन की अनुमति से खण्ड-16 में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-16 एवं खण्ड-17 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-18 में निम्न संशोधन पेश किया-

{मूल संशोधन अंग्रेजी में}

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-18 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-19 में अपना निम्न संशोधन पेश किया-

{मूल संशोधन अंग्रेजी में}

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-19 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-20 में श्री शीश पाल ने अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-20 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-22 में अपना निम्न संशोधन पेश किया-

{मूल संशोधन अंग्रेजी में}

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-21 और खण्ड-22 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-22 के बाद निम्न नया खण्ड जोड़ने के लिये संशोधन प्रस्तुत किया -

{मूल संशोधन अंग्रेजी में}

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

नये खण्ड-23 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-23 के बाद नया खण्ड-24 जोड़ने के बारे में संशोधन प्रस्तुत किया-

{मूल संशोधन अंग्रेजी में}

नये खण्ड को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने प्रस्ताव किया कि वर्तमान खण्डों को 23,24 एवं 25 के रूप में उल्लिखित किया जाये । अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था

दी कि इस तरह की मूल अशुद्धियों को ठीक करने की इसमें स्वाभाविक शक्तियां प्रदत्त हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-25 के परन्तुक को हटा दिया जाये ।

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

वर्तमान खण्ड-23 से 25 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक मतदान के लिये रखे गये और ध्वनिमत से स्वीकार किये गये ।

6·07 बजे उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये ।

विधेयक को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ।

15· 6·10 बजे **अल्पकालिक चर्चा**

डॉ·जगदीश मुखी ने सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य आबंटन में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा प्रारम्भ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-

1· श्री नन्द किशोर गर्ग
2· श्री मोहन सिंह बिष्ट
3· श्री जगदीश आनन्द

§श्री जगदीश आनन्द ने सदन से बहिर्गमन किया§

विरोधी दल के निम्नलिखित सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया§

डॉ·जगदीश मुखी
श्री नन्द किशोर गर्ग
श्री ब्रहम सिंह तंवर
श्री पूरन चन्द योगी
श्री अविनाश साहनी
श्री मोहन सिंह बिष्ट
श्री नरेश गौड़

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

7·25 बजे सदन बुधवार, 29 नवम्बर, 2000 को अप·2·00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ ।

दिल्ली,
28 नवम्बर, 2000

एस·के·शर्मा
सचिव

BULLETIN PART I

(BRIEF RECORD OF PROCEEDINGS)

Tuesday, November 28, 2000 / Margashirsha 07, 1922 (Saka)

No : 43

1. 2.00 PM Some opposition members raised the matter regarding manhandling of a member in the precincts of Assembly. Chair informed that the matter will be look into and a report would be called from the Police/Security.

2. 2.16 PM Shri Roop Chand came in the House. Chair read out to the House the written statement of Shri Roop Chand and assured that he will look into the matter.

3. 2.22 PM QUESTIONS

Starred Questions 103, 104, 106 and 107 were asked and orally feplied. Replies to starred questions 101, 102 105, 108 to 120 and unstarred questions 263 to 325 were laid on the Table of the House.

4. 3.00 PM PAPERS LAID ON THE TABLE

Dr Narendra Nath, Minister of Education laid on the Table of the House notifications dated 16.2.2000, and 20.4.2000 (total 4 notifications) relating to Guru Gobind Singh Indraprastha University.

5. 3.01 PM MOTION

Shri Mangat Ram Singhal moved that this House agrees to the Seventh Report of the Committee on Private Members' and Resolutions presented to the House on 27.11.2000 which was adopted by voice vote.

6. 3.02 PM PRESENTATION OF REPORTS

1. Smt Kiran Walia presented to the House First Report of the Committee on Govt Undertakings.

2. Shri Motilal Bokolia presented to the House the Fifth Report of the Committee on Welfare of SC, ST and OBCs.

3. Smt Kiran Walia presented to the House the Report of the Select Committee constituted on 'The Delhi Plastic (Manufacture, Sale & Usage) and Non-bio-degradable Garbage (Control), Bill 2000'.

7. 3.03 PM The Chair congratulated Shri Nand Kishore Garg for being conferred upon him the Ch. Brahm Prakash Co-Operatibe Award for the year 1999-2000 on behalf of the House.

8. 3.04 PM SPECIAL MENTIONS

The following members raised issues under Rule 287:-

1. Shri Sushil Chaudhary
2. Shri Surender Kumar
3. Shri Amrish Singh Gautam
4. Shri Motilal Bokolia (Chief Minister intervened).
5. Shri Roop Chand
6. Shri Sahab Singh Chauhan
7. Shri Arvinder Singh Lovely
8. Shri Malaram Gangwal
9. Shri Bhisham Sharma (Minister of Transport intervened)
10. Shri Ramesh Kumar

Contd page 2/.........

9. 3.30 PM MOTION UNDER RULE 107

Smt Kiran Waliamoved the following motion :-

'This House recommends that the slums to be relocated to new sites be provided with all basic amenities of existence besides alternative land and the relocation may take place at such time of the year when there is no impending winter/summer and the studies/examination of school going children residing thereon is not disrupted'.

The following members participated in the discussion :-
Shri Mukesh Sharma
Shri Nand Kishore Garg
Shri Jile Singh Chauhan
Smt Anjali Rai
Shri Sahab Singh Chauhan

10. 4.00 PM TEA-BREAK.

11. 4.37 PM House re-assembled. Further discussion on Motion under Rule 107 :-
Shri Tarwinder Singh Marwah
Shri Deep Chand Bandhu
Shri Mahabal Mishra
Shri Kanwar Karan Singh
Shri Nasseb Singh
Shri Amrish Singh Gautam
Shri Bhisham Sharma

Minister of Urban Development replied to the discussion.

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment to the motion :-

'That one month notice shall be given to all those Jhuggi Clusters which are intended to be shifted with prior intimation to the area MLA and making of new Jhuggi Clusters shall be cognizable offence and the Govt shall take strict action in this regard'.

Minister of Urban Development suggested changes in the amendment and following amended motion was put to vote :-

'This House recommends that the slums to be relocated to new sites be provided with all basic amenities of existence besides alternative land and relocation may take place at such time of the year when there is no impending winter/summer and studies/examination of the school going children residing thereon is not disrupted.

This House further recommends that one month notice be given to all jhuggi clusters which are intended to be shifted with prior intimation to the area MLA and land owning agency shall be requested to make encroachment a cognizable offence '.

The amended motion was put to vote and adopted unanimously.

12. 5.15 PM **Observations :**

Hon'ble Speaker observed that provisions of Rule 128 are not adhered to by the Ministers thus leading to hasty introduction and passing of bills thereby giving limited time to the members to give their amendments and to the Assembly Secretariat to process the given amendments. He advised the Ministers to follow the procedure in future.

Contd 3/.....

LEGISLATIVE PROPOSALS

13. 5.17 PM INTRODUCTION OF BILL

Dr Narendra Nath, Minister of Industries moved for leave to introduce 'The Delhi Industries (Enlistment & Planning) Bill, 2000' and leave having been granted introduced the Bill.

14. 5.18 PM CONSIDERATION AND PASSING OF BILL

Dr Narendra Nath, Minister of Industries moved that 'The Delhi Common Effluent Treatment Plants Bill, 2000' be taken into consideration and leave having been granted gave a brief statement on the provisions of the Bill. The following members participated in the discussion :-

Shri Mukesh Sharma
Smt Kiran Chaudhry
Shri Nand Kishore Garg
Dr Jagdish Mukhi

CLAUSE BY CLAUSE CONSIDERATION

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment to Sec 2(2)

> "'appropriate authority' means the Commissioner of Industries or any other officer not below the rank of Joint Director authorised by him from time to time in this regard'".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.
Smt Kiran Chaudhry with-drew her amendment in Sec 2 with the leave of the House.

Section 2 was put to vote and adopted by voice vote.
Smt Kiran Chadhry moved the following amendment in Sec 3 :-

> " After words " industrial estates in Delhi" in Line 2 the following words be added " and any area indluded in the jurisdiction of CETP Society or Societies".

The motion was put to vote and adopted by voice vote.
Section 3 and Section 4 were put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment in Sec 5 :-

> " Section 5(2) be deleted and sub-clause(1) of Section 5 be renumbered as Section 5".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.
Smt Kiran Chaudhry withdrew her amendment in Sec 5 with the leave of the House.
Dr Jagdish Mukhi refused to withdraw his amendment given in Sec 5 and the same was put to vote and negatived.
Section 5 was put to vote and adopted by voice vote.

Smt Kiran Chaudhary moved the following amendment in Section 6(1)

> " Instead of the words ' the main function of the appropriate authority shall be to recover the dues from the occupiers' be replced by ' the main function of the appropriate authority shall be to recover any unpaid dues from the occupiers'".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Contd on page 4/......

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment for proviso to Sec 6(2)(c) :-

" Provided that the society managing the CETP shall be responsible for upgradation and technology of the installed CETP as per future requirement".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Section 6 and Section 7 were put to vote and adopted by voice vote.

Smt Kiran Chaudhry moved amendment to Section 8(1) :-

" After the words 'empowered by it in that behalf' words ' may permit in writting a specific officer or officers in each case to ' may be added".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Section 8 was put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma moved the following amnedment to Section 9 :-

" Add words to end of Section 9 'as may be prescribed in rules".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote. Smt Kiran Chaudhry withdrew her amendment in Sec9 with the leave of the House.

Section 9 was put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment to Sec 10:

" substitute 'one and half percent' in place of 'two percent'".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Section 10 and 11 were put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment to Sec 12:

" Add proviso to Sec 12 ' Provided that the apppriate authority may for the reasons to be recorded in writting, allow payment of amount due in instalments".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Section 12 was put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment to Sec 13:

" Section 13(2) may be read as ' An appelate authority may consist of Financial Commissioner of the Govt of NCT of Delhi or any other officer of equivalent rank as Chairperson and one expert in the field of public health engineering and one person in the field of Finance or Taxation as Members'.

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Smt Kiran Chaudhry moved the following amendment to Section 13(4) :-

" Period of disposal of appeal needs to be limited to 90 days after the first hearing of appeal'.

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Section 13 was put to vote and adopted by voice vote.

Contd page 5/.......

Smt Kiran Chaudhry moved the following amendment to Section 14 :-

' Word 'filed' be read as 'Failed'".

The amendment was agreed by Chair as a typographical error.

Section 14 was put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment to Sec 15:

' the words 'ordinance' appearing in Section 15 may be read as 'Act'".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Section 15 was put to vote and adopted by voice vote.

Smt Kiran Chaudhry withdrew her amendment in Section 16 wit with the leave of the House.

Section 16 and 17 were put to vote and adopted by voice vote.

Smt Kiran Chaudhry moved the following amendment in Section 18 :-

" maximum penalty be reduced from Rs 10,000 to Rs 5000".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Section 18 was put to vote and adopted by voice vote.

Smt Kiran Chaudhry moved the following amendment in Section 19 :

" that the additional penalty per day be reduced from Rs 5000 per day to Rs 500 per day".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Section 19 was put to vote and adopted by voice vote.

Shri Sish Pal withdrew his amendment given in Sec 20.

Section 20 was put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma mived the following amendment in Sec 22:

" the word 'ordinance' appearing in Sec 22 may be read as 'Act' ".

The amendment was put to vote and adopted by voice bote.

Section 21 and 22 were put to vote and adopted by voice vot vote.

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment as new Section after Sec 22 :-

" 23. Cognizances of affences under this Act :-

1. No court inferior to that of Metropolitan Magistrate shall take cognizance of any offence under this Act.

2. No court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint filed by the appropriate authority or any officer authorised by him in this behalf.

3. All offences under this Act will be non-cognisable and bailable. "

The amendments were put to vote and adopted by voice vote.

The new section 23 was put to vote and adopted by voice vote.

Contd on page 6/.....

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment as new Section after section 23 so inserted :-

> " 24 . Power to compound offences : Any offence under this Act may be compounded by the appropriate authority at any time on payment of such amount not exceeding the amount of penalty imposable under this Act'.

The new Section was put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma moved that existing section numbers 23, 24 and 25 ne re-numbered accordingly. Chair ruled that it had inherent powers to correct patent errors.

Smt Kiran Chaudhary moved that Proviso to Section 25 be deleted.

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Existing Section 23 to 25 were put to vote and adopted by voice vote.

Section 1, Short Title and Preamble was put to vote and adopted by voice vote.

6.07 PM Minister of Industries moved that the Bill be passed.

The Billwwas put to vote and passed unanimously.

6.10 PM SHORT DURATION DISCUSSION

Dr Jagdish Mukhi initiated Short Duration Discussion on situation arising out of alleged irregularities in allotment of works for Sonia Vihar Water Treatment Plant.

The following members participated in the discussion :-

Shri Nand Kishore Garg
Shri Mohan Singh Bisht
Shri Jagdish Anand
(Shri Anand staged a walk-out).
Members of opposition protested and following members staged a walk-out :-
Dr Jagdish Mukhi
Shri Nand Kishore Garg
Shri Brahm Singh Tanwar
Shri Puran Chand Yogi
Shri Avinash Sahani
Shri Mohan Singh Bisht
Shri Naresh Gaur

Chief Minister replied to the discussion.

7.25 PM House adjourned till 2.00 PM on 29th November 2000.

S.K. Sharma
Secretary

Delhi
28th November 2000